कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 20 माघ, शक संवत् 1947
(09 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531
अंक-01

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 12:00 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' ....के सामूहिक गान से आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डप के एक साथ समवेत् दोनों सदनों को आज दिये गये अभिभाषण का पाठ आरम्भ करते ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

तदुपरान्त माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2026) को सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया कि -

निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 को वापस प्राप्त हो गया।

(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025

(2) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025

(5) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025

(6) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025

(7) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

(8) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025

(9) किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025

(10) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

(11) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि -

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

(2) किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का छठवाँ अधिनियम बन गया।

(7) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का सातवाँ अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की

बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया।

(10) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया।

(11) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

(12) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2026 का उत्तर प्रदेश का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2026 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 09 फरवरी, 2026 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-56 की सूचनाएं ली जाएं।

2-दिनांक 12 फरवरी, 2026 को भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन के निदेश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जाएं।

दिनांक 09 फरवरी, 2026 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>फरवरी, 2026</u>

09 सोमवार	1-**<u>11:00 बजे पूर्वाह्न</u>**
	राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।
	2-**<u>12:30 बजे अपराह्न</u>**
	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।
	(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
10 मंगलवार	निधन के निर्देश।
11 बुधवार	1-**<u>11:00 बजे पूर्वाह्न</u>**
	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।
	2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।
12 गुरुवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।
	2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।
13 शुक्रवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण।
	2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
14 शनिवार 15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

<u>फरवरी, 2026</u>

17 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
18 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-**<u>03:00 बजे अपराह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि नई परम्परा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देने जा रही है। हम सब एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की भांति अपनी आर्थिक समीक्षा पहली बार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश की आर्थिक समीक्षा केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राज्य की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की सम्भावनाओं का जीवन्त दस्तावेज है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ0 संग्राम यादव ने कहा कि सदन में कोई विषय उठाना होता है, तो उसे कार्य-मंत्रणा में लाया जाता है, जिससे विपक्ष भी तैयारी के साथ सदन में आये। उन्होंने इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की । नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने भी इस पर बल दिया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज की कार्य-सूची की मद-12 के अनुसार मंत्रिगण को वक्तव्य देने का अधिकार है। मंत्रिगण जब चाहें सरकार का पक्ष रख सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आगे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका मिलेगा।

इस पर श्री अध्यक्ष ने भी कहा कि उस पर चर्चा कराएंगे।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 226 विधान सभा (374)–12–02–2026–50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।